फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री लक्ष्मण राम पुत्र श्री सोमाराम
निवासी घांचियों का वास, नांदिया
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
जिला रसद अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. ६५ वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.01.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 27.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जिसकी पावती रेस्पोडेन्ट के कार्यालय द्वारा दिनांक 18.01.2021 को दी गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 27.10.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 18.01.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जिसकी पावती रेस्पोडेन्ट के कार्यालय द्वारा दिनांक 18.01.2021 को दी गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	